हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
बुधवार, 06 अगस्त 2014, नगर, पांच प्रदेश, 18 संस्करण
www.livehindustan.com

उच्च शिक्षा के नए नियामकों की खोज

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और उसका 58 वर्ष पुराना ढांचा 21वीं सदी के भारत की उच्च शिक्षा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी फिर से चर्चा में है, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रोफेसर हरि गौतम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो यूजीसी के भावी स्वरूप की रूपरेखा तैयार करके बताएगी कि आगामी दशकों के लिए उच्च शिक्षा का नियमन कैसे किया जाए। गौरतलब है कि मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ऐसे संकेत दिए थे कि यूजीसी व एआईसीटीई जैसी नियामक संस्थाओं का पुनर्गठन उनकी प्राथमिकता रहेगी। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में इसका वायदा भी किया था। गौतम समिति से यह अपेक्षा की गई है कि वह यूजीसी के पिछले 58 वर्षों के कामकाज की समीक्षा करे और यह बताए कि उच्च शिक्षा के रेग्यूलेटर के रूप में वह कहां तक सफल रही है? प्रोफेसर गौतम और समिति के अन्य सदस्य उच्च शिक्षा व यूजीसी के क्रिया-कलापों से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और इसकी खामियों या कमियों से वे जरूर परिचित होंगे।

हमारे देश में 13 नियामक संस्थाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों का नियमन करती हैं। इनमें यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। भारत में उच्च शिक्षा का पिछले दो दशकों में तेजी से विस्तार हुआ है। विश्व स्तर पर चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा ऐसे विद्यार्थी हैं, जो कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। देश की 726 यूनिवर्सिटियों और करीब 38,000 कॉलेजों में इस समय 2.8 करोड़ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 12 करोड़ विद्यार्थी हैं, यानी उनका करीब एक चौथाई हिस्सा अकेले भारत में है। विद्यार्थियों की इस विशाल संख्या का अगले दशकों में तेजी से विस्तार स्वाभाविक है, क्योंकि अभी सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) सिर्फ 22.5 प्रतिशत है। वर्ष 2030 तक इसके 50 प्रतिशत होने की संभावना है।

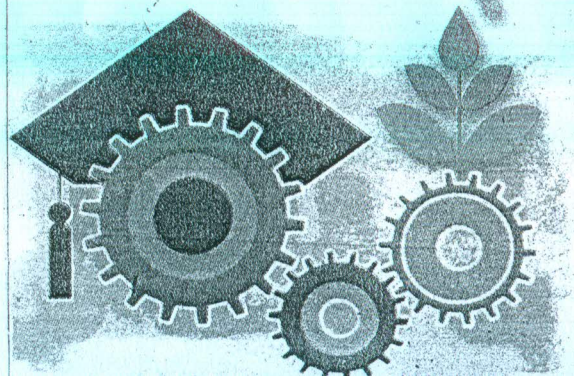

आज यूजीसी की चारों तरफ आलोचना की जाती है, क्योंकि वह अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। देश की संसद से पारित बिल के तहत इसकी स्थापना सन 1956 में की गई थी और इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मानकों का निर्धारण और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करना था। यूजीसी की परिकल्पना ब्रिटिश यूजीसी के आधार पर की गई थी, जो 1919 में वित्त मंत्रालय के अधीन थी और उसका मुख्य कार्य सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान वितरित करना था। 1998 में ब्रिटेन ने यूजीसी को खत्म करके दो नई नियामक संस्थाएं स्थापित कर दीं, जिनका नाम हायर एजुकेशन फंडिंग काउंसिल और क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी है।

हमारे देश में जब 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई, तब उसके तहत बमुश्किल 20 विश्वविद्यालय, 500 कॉलेज, 15 हजार प्राध्यापक और लगभग दो लाख विद्यार्थी थे। इसलिए अब यूजीसी और उसका 58 वर्ष पुराना ढांचा 21वीं सदी के भारत की उच्च शिक्षा से जुड़ी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे

हरिवंश चतुर्वेदी
निदेशक, बिमटेक

फीसदी युवा हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला ले पाते हैं। अगर हम जीईआर को 50 प्रतिशत कर पाने की कल्पना करें, तो आने वाले दशकों में चार करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त नौजवानों की शिक्षा के इंतजाम करने होंगे। क्या 1956 में स्थापित यूजीसी का पुराना ढांचा इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगा? क्या यूजीसी सिर्फ मात्रात्मक प्रगति और कानूनी खानापूरी तक ही नियमन करेगी? आखिर देश की उच्च शिक्षा को विश्व-स्तरीय बनाने की जिम्मेदारी किसके कंधे पर डाली जाए? गौतम समिति से उम्मीद की जाती है कि वह इन कठिन चुनौतियों से निपटने का रास्ता देश को सुझाएगी।

यूजीसी के साथ एक बड़ा विरोधाभास यह है कि इसका सांगठनिक ढांचा सरकारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को वित्तीय अनुदान देने के लिए बनाया गया था, किंतु आज की परिस्थितियों में इसके सामने बड़ी चुनौती है कि 726 विश्वविद्यालयों और करीब 38,000 कॉलेजों में 2.8 करोड़ भारतीय युवाओं को दी जा रही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता व मानकों को यह कैसे सुनिश्चित करे? अक्सर सरकार द्वारा यूजीसी के माध्यम से वितरित वित्तीय अनुदान का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और अनुदान लौटा दिया जाता है। अनुदान के वितरण में भी पक्षपात के आरोप सुनने में आते रहे हैं। एआईसीटीई में व्याप्त अव्यवस्था तो सभी जानते हैं, यूजीसी भी इससे अछूती नहीं रही है।

संघीय ढांचे के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के संबंध को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने ऐसी नियामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहते हुए स्वायत्तता व पारदर्शिता के साथ काम करें। भारतीय सेना इसके उदाहरण हैं। बाद में सेबी, इरडा, ट्राई जैसी नियामक संस्थाएं बनाई गईं, जिनको शेयर बाजार, बीमा क्षेत्र तथा दूरसंचार के क्षेत्र में नियामक की भूमिका निर्वाह करने की जिम्मेदारी दी गई। अपने प्रारंभिक काल में यूजीसी चेयरमैन का पद देश के जाने-माने शिक्षाविदों को दिया गया, जैसे डॉ शांति स्वरूप भटनागर, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, डॉ सी डी देशमुख आदि। बाद में डॉ कोठारी, प्रोफेसर शाह, प्रोफेसर रेड्डी, प्रोफेसर यशपाल व प्रोफेसर अरुण निगवेकर जैसे शिक्षाविद् इसके चेयरमैन बने।

यूजीसी और एआईसीटीई में व्याप्त अकर्मण्यता, लालफीताशाही और अफसरशाही के फलस्वरूप निजी क्षेत्र के संस्थानों का विकास जब अवरुद्ध हुआ, तो उन्होंने अपने आप को निजी विश्वविद्यालय में बदलने का सपना देखना शुरू कर दिया। यूपीए-1 में अर्जुन सिंह के कार्यकाल में डीम्ड यूनिवर्सिटी के लाइसेंस खुलकर बांटे गए और कई ऐसे कॉलेज भी रातोंरात यूनिवर्सिटी बन गए, जिनके पास उच्च शिक्षा के लिए जरूरी दूरदृष्टि नहीं थी और न ही उनके पास पर्याप्त संसाधन थे। यूपीए-2 के दौरान तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने नई डीम्ड यूनिवर्सिटियों की स्थापना पर रोक लगा दी और टंडन कमेटी की सिफारिशों पर 44 डीम्ड यूनिवर्सिटियों को 'सी' श्रेणी में डाल दिया। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। आने वाले वर्षों में देश की उच्च शिक्षा के भविष्य पर होने वाली चर्चाओं में गौतम समिति की रिपोर्ट विचार-विमर्श का मुख्य मुद्दा बनेगी। उच्च शिक्षा के भविष्य और खासतौर पर उसकी नई नियामक एजेंसी के स्वरूप को तय करना खासा चुनौतीपूर्ण होगा।

यूपीए-1 के कार्यकाल में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने साल 2007 में उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की थी। साल 2009 में यूपीए-2 द्वारा नियुक्त यशपाल कमेटी ने भी सभी नियामक संस्थाओं को भंग करके उच्च शिक्षा व अनुसंधान के लिए एक सर्वव्यापी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने 2011 में संसद में उच्च शिक्षा में सुधार के नाम पर जो छह बिल प्रस्तुत किए थे, उनमें उच्च शिक्षा व अनुसंधान बिल, 2011 एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए ही बनाया गया था। मगर सर्वानुमति न बनने के कारण इनमें से कोई भी बिल पास नहीं हो पाया। देखना है कि एनडीए सरकार क्या यूजीसी को एक नया जन्म दे पाएगी?